न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारीः–श्री साधुराम जाट, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–88 / 16 प्रार्थना पत्र

उनवान

1–सुखलाल आत्मज छोगा खाती निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2–जगदीश आत्मज मीठु खाती निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3–सुरेश आत्मज मीठु खाती निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
4–मु0 अणछी बेवा मीठु खाती निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
5–हीरा आत्मज गोपी खाती निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
6–रामा आत्मज गोपी खाती निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1–गोरधनलाल आत्मज घीसा सुथार निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
2–मु0 जगदीशी बेवा घीसा सुथार निवासी नाथडियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए. आर0टी0एक्ट.</u>

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद– अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 27.06.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प नाथडियास मे पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाथडियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मै प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एंव कब्जे कास्त की आराजी संख्या 3945 / 598 रकबा 0.26 है0, भूमि राजस्व खाता संख्या 527 पर स्थित है। उक्त आराजी के मुल नम्बर 598 है। उक्त आराजी संख्या 3945 / 598 मे आवागमन करने का एक मात्र रास्ता ग्राम अम्बा का खेडा से ग्राम नाथडियास जाने वाले रास्ते से होकर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी की आराजी संख्या 595 की पूर्वी पाली पर होते हुए संज, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि सहित आराजी संख्या 3945 / 598 मे प्रवेश करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 3945 / 598 मे आवागमन करने का उक्त वर्णित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आवागमन का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी की आराजी संख्या 595 की पुर्वी पाली पर से होकर है। जिससे होकर प्रार्थीगण वर्षो से आवागमन शांति पुर्वक करते चले आ रहे है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की आराजी मे आवागमन करने को रोकने की नियत से आराजी संख्या 595 की पुर्वी पाली पर पत्थर डाल कर हम प्रार्थीगण के रास्ते मे व्यवधान उत्पन्न करते हुए उसे बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण हमारी आराजी की हकाई बुवाई नही करवा पा रहे है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 को रास्ता पुनः चालु करने हेतु कहने पर वे इन्कार हो गये है। प्रार्थीगण की आराजी मे आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम अम्बा का खेडा से नाथडियास जाने वाले आम रास्ते से होते हुए विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 595 की पूर्वी पर 12 फीट चौडा रास्ते से

होकर है जिससे हम वर्षो से आवागमन करते आ रहे है। इस रास्ते के अलावा हमारी आराजियात मे जाने का कोई अन्य रास्ता नही है। जिससे रास्ते मे किये गये अवरोध को हटाया जाकर रास्ता खुलासा कराया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 595 का जितना रकबा रास्ते मे जा रहा है उसका डिएलसी दर से विपक्षीगण को भूगतान करने को तैयार है। जिससे विपक्षीगण संख्या 1 व 2 की आराजी संख्या 595 की पुर्वी पाली पर 12 फीट चौडे रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड व नक्शे मे कराया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण के आवागमन के रास्ते को दो माह पुर्व बन्द कर दिया, जिसका खुलासा कराने हेतु प्रार्थीगण ने उन्हे दिनांक : 11.6.2016 को कहा तो विपक्षीगण इन्कार हो गये। जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय वाद प्रार्थना पत्र दिनांक 11.6.2016 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 29.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 एवं 02 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 मे भी नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार रायपुर द्वारा 07 बिन्दुओ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नाथड़ियास के आराजी नम्बर 3945/598 रकबा 0.26 हे0 पर पहुचने हेतु दक्षिण दिशा मे आराजी नम्बर 595 की पूर्वी सीमा तक आबादी से खेतो मे जाने वाला बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 628 रास्ता मौके पर देऊ पत्नि छोगा बैरवा सा0 नाथड़ियास एवं गोवर्धन पिता घीसा सुथार नि0 नाथड़ियास द्वारा बन्द कर रखा है। मौके पर उक्त विवादित रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नही है। वर्तमान मे रास्ता बन्द होने से आवागमन बन्द है। बिलानाम आराजी नम्बरं 628 दर्ज रास्ता व वादी की भूमि के बीच आराजी नम्बर 595 के पूर्वी दिशा से वादी की भूमि मे आवागमन हो सकता है जो नक्शे मे लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते का आराजी नम्बर 595 रकबा 0.22 है किस्म भू0मा0 खातेदार गोरधन लाल पिता घिसा, जगदीशी बेवा घिसा सुथार निवासी नाथडियास के नाम दर्ज है जिसमे से रास्ता हेतु रकबा 0.01 है0 भूमि प्रस्तावित है। उक्त भूमि की डी एल सी दर 153800/- रू प्रति बीघा है। प्रस्तावित रास्ते को लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर ओर कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3445/598 रकबा 0.26 है0 मे आवागमन के लिये विपक्षी संख्या 1 एवं 2 की आराजी नम्बर 595 रकबा 0.22 है0 मे से 0.01 है0 भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण की आराजी संख्या 3445/598 रकबा 0.26 है0 मे आवागमन के लिये विपक्षी संख्या 1 एवं 2 की आराजी नम्बर 595 रकबा 0.22 है0 मे से 0.01 है0 भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज किया जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है। रास्ते के रूप मे उपयोग आने वाली भूमि की डी एल सी दर से राशि प्रार्थीगण से वसुल कर विपक्षीगण को दिलाई जावे।

साधुराम जाट
आर.ए.एस. 27/6/17
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा